II/ 2014
र विचार
वेदन में
है कि
दिनांक
अर्थात
है जो
अधिक

तथा 44
रा 5 –
जानकारी
त्येक दिन
माफ नहीं

47 –
कार को
प्रोदभूत
किया जा

47 –
नियत –
भाषक के
नांक को
की सूचना
चना देना

प्रस्तुत
रस्त की
यायालय
र्ड रूम

ालियर

COURT FEE INDIA TEN RUPEES Rs.10
COURT FEE INDIA TWO RUPEES Rs.2
COURT FEE INDIA TWO RUPEES Rs.2
COURT FEE INDIA TWO RUPEES Rs.2

3.4.14

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म०प्र

प्रकरण क्रमांक– /2014/निगरानी R. 788 - III/14

प्रस्तु. द्वारा. धाकड़ अधि०
आज दि 5.3.14 को
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
12.PM

मनीष कुमार पुत्र श्री जीतम
आयु–42वर्ष, व्यवसाय–कृ
निवासी–ग्राम सतना बाड़ा
तहसील व जिला शिवपुरी (म०

----आवे

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर शिवपुरी जिला शि
(म०प्र०)

----अना

निगरानी आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–र
संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 25.03.1992 न्या
कलेक्टर जिला शिवपुरी प्रकरण क्रमांक–55/91–92स्वनि

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न

प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त विवरणः–

1– यहकि, ग्राम सतना बाड़ा खुर्द के भूमि सर्वे क्रमां
रकवा 1.516 हैक्टेयर वर्तमान सर्वे नम्बर–13
1.88 हैक्टेयर पर आवेदक पूर्व से कृषि कार्य व
कारण तथा भूमिहीन होने के कारण मध्य प्र
निति अनुसार आवेदक द्वारा एक आवेदन न
तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया

9/4/14

प्रभारी (रा.) महाधिवक्ता

→ निरंत

पक्षकारों एवं अभिभा... आदि के हस्ताक्षर

21/3/...

31/3/...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 788/III/2014 — जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3.4.2014	यह निगरानी कलेक्टर जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 55/91–92 स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–3–92 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्कों में बताया कि सतनवाड़ा खुर्द स्थित पुराना भूमि सर्वे कमांक 6/2 रकबा 1.516 हैक्टर, जिसका नया नंबर 13 रकबा 1.88 है. का आवेदक कृषक है जिसका आवेदक को तहसील न्यायालय के प्र.क. 20/89–90 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 26–12–89 से पटटा मिला है। तहसील न्यायालय के प्रकरण को कलेक्टर व्दारा स्वमेव निगरानी में लिया जाकर कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसमें आवेदक ने पैरबी हेतु बकील नियुक्त किया। प्रकरण में 25–3–92 को आदेश पारित कर पटटा निरस्त कर दिया, जिसकी जानकारी आवेदक को न्यायालय व्दारा नहीं दी गई और न ही आवेदक के नियुक्त अभिभाषक ने कोई जानकारी दी, जिसके कारण निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर सुनवाई की जावे।	

निगरानी कमांक : 788/III/2014

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निगरानी कलेक्टर शिवपुरी के आदेश दिनांक 25-3–92 के विरूद्व दिनांक 5–3–14 को अर्थात लगभग 22 वर्ष के अंतर से प्रस्तुत है जो अत्याधिक विलम्ब से है तब क्या इतने अधिक विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है ?

1. भू–राजस्व संहिता,1959 (म.प्र.)–धारा–47 तथा 44 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5 – विलंब माफी हेतु आवेदन – आदेश की जानकारी का श्रोत सही नहीं दर्शाया गया – प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं – विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
2. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।
3. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथी नियत – अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है – आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया– आदेश की सूचना होना जाना मानी जावेगी – प्रथक से सूचना देना आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त कारणों से अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी सुनवाई योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, ग्वालियर

9/4/14